रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2005/ज्येष्ठ 5, 1927
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2005/JYAISTHA 5, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 मई, 2005

सं. टीएएमपी/10/2004-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा इसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार बंद करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/10/2004-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) .... **आवेदक**

आदेश

(मई 2005 के 12वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त उसके प्रस्ताव के संबन्ध में है।

2. वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और निर्धारित/सामान्य परामर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर कार्रवाई की गई है। दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 को, इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णयानुसार, वीपीटी तथा संबन्धित उपभोक्ता संगठन द्वारा लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल किए गए।

3.1. जिस समय इस प्रकरण पर आगे कार्रवाई की जा रही थी, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शियों की घोषणा कर दी।

3.2. एमएसआरटीएच द्वारा घोषित संशोधित मार्गदर्शियों को ध्यान में रखते हुए, वीपीटी से अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने तथा, यदि आवश्यक हो तो, 30 अप्रैल, 2005 तक, एक संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए अनुरोध किया गया था।

4. अब वीपीटी ने यह सूचित किया है कि संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और 31 मई, 2005 तक दाखिल किया जा सकेगा। वीपीटी ने यह अनुरोध किया है कि पिछले प्रस्ताव को बन्द हुआ मान लिया जाए और संशोधित प्रस्ताव पर नए प्रकरण के रूप में कार्रवाई की जाए।

5. परिणामस्वरूप, यह प्राधिकरण, इस प्रकरण को वापसी लिया गया मानकर बंद करने का निर्णय लेता है। वीपीटी को यह सलाह भी दी जाती है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव, संशोधित मार्गदर्शियों के अनुरूप तीन वर्षों के प्रक्षेपण देते हुए, अपेक्षित लागत विवरणियों सहित 31 मई, 2005 तक दाखिल कर दे। जब वीपीटी से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा, नियमित परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद उस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2005

No. TAMP/10/2004-VPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/10/2004-VPT

Visakhapatnam Port Trust (VPT) ... **Applicant**

ORDER

(Passed on this 12th day of May, 2005)

This case relates to a proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2. The proposal received from the VPT has been registered as a tariff case and processed following the usual consultation process adopted. A joint hearing in this case was held on 6 December, 2004. Written submissions were filed by the VPT and the concerned user organisation as decided in the joint hearing.

3.1. When the case was being processed further, the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRTH), announced the revised guidelines for tariff fixation.

3.2. In view of the revised guidelines announced by MSRTH, the VPT was requested to review its proposal and, if necessary, to file a revised proposal by 30 April, 2005.

4. The VPT has now informed that the revised proposal is under formulation stage and will be filed by 31 May, 2005. The VPT has requested to treat the earlier proposal as closed and to process the revised proposal as a fresh case.

5. In the result, this Authority decides to close this case as withdrawn. The VPT is advised to file the revised proposal by 31 May, 2005 alongwith the requisite cost statements giving projections for three years in line with the revised tariff guidelines. The revised proposal when received from the VPT will be considered afresh following the usual consultation process.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/05-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.